प्रमोद कोहली, जे. के समक्ष

एन. के. मित्तल , - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता

2010 का सीडब्ल्यूपी नंबर. 733

17 सितम्बर, 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद. 226-खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक का उसके पहले स्थानांतरण के 5 महीने के बाद ही पुनः स्थानांतरण-किसी कर्मचारी का स्थानांतरण—न्यायिक समीक्षा—अस्वीकार्य—हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां पुरुष भावना और पूर्वाग्रह स्पष्ट हो, अदालत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की हकदार है-हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 7 अप्रैल,1989 जिसमें किसी कर्मचारी के लिए किसी स्टेशन/पोस्ट पर रहने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष निर्धारित की गई है - निर्देशों का उल्लंघन - बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री के आदेश पर स्थानांतरण - रिकॉर्ड से पता चलता है कि 5 माह बाद पुनः स्थानांतरण के लिए जनहित नहीं है-याचिका मंजूर, स्थानांतरण आदेश निरस्त।

अभिनिर्धारित किया कि, स्थानांतरण सेवा की अनिवार्यता है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष पद पर या किसी विशेष स्थान पर बने रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक हित के अलावा अन्य विचारों पर स्थानांतरण और मानदंडों का उल्लंघन करके एक कर्मचारी को विशेष स्थान पर समायोजित करना है। इसे द्वेष से प्रेरित स्थानांतरण माना जाएगा। ऐसा द्वेष उस व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकता है, जो इस तरह के स्थानांतरण से प्रभावित हो सकता है लेकिन अंततः आधिकारिक पूर्वाग्रह होता है। आधिकारिक पूर्वाग्रह यह है कि एक व्यक्ति की मदद करने का इरादा दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक की मदद करने के स्वाभाविक परिणाम के रूप में दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। सामान्य परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण के मामले में न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। हालाँकि, दुर्भावना और पूर्वाग्रह के कारण स्थानांतरण एक ऐसी स्थिति है, जहाँ न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है। यह ऐसे मामलों में से एक है जहां पूर्वाग्रह स्पष्ट है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सोनीपत में पुनः स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया है।

अधिवक्ता सुमन जैन, याचिकाकर्ता की ओर से

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता

विकास मलिक, अधिवक्ता के साथ

आर.के.एस. बराड़,अतिरिक्त. ए.जी.हरियाणा

अश्वनी ताई वार, एडवोकेट

प्रमोद कोहली, जे.

(1) याचिकाकर्ता दिनांक 13.01.2010 के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के उपाध्यक्ष सोनीपत से अपने स्थानांतरण से व्यथित है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2, दोनों जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता को 21.08.2009 को सोनीपत स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 2 सहित खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों के छह स्थानांतरण किए गए थे। याचिकाकर्ता को करनाल से सोनीपत स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 को सोनीपत से कुरुक्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण के आदेश के अगले दिन यानी 22.08.2009 को सोनीपत में कार्यभार ग्रहण किया। जाहिर है, प्रतिवादी नंबर 2 भी कुरूक्षेत्र में शामिल हुआ। पांच महीने से भी कम समय के भीतर, प्रतिवादी नंबर 2 को फिर से सोनीपत स्थानांतरित कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश के माध्यम से कुरूक्षेत्र स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से दो आधारों पर स्थानांतरण को चुनौती दी है। एक तो सरकार की स्थानांतरण नीति और खाद्यान्न वितरण के संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में बनाए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन, दूसरा यह स्थानांतरण दुर्भावना से किया गया और राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश पर आदेश दिया गया।

(2) याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.09.2009 के ज्ञापन के माध्यम से चावल आदि की डिलीवरी के संबंध में राज्य द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का हवाला दिया है। इन निर्देशों के तहत खरीदारी करने वाला अधिकारी सेंट्रल पूल में डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है अन्यथा किसी भी विसंगति के मामले में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है। आरोप है कि कुरूक्षेत्र में रहते हुए, प्रतिवादी नंबर 2 ने 17.12.2009 तक धान की 7.80 लाख टन खरीद की है और चावल की डिलीवरी 31.3.2010 तक भारतीय खाद्य निगम या उसके केंद्रीय पूल में की जानी है। बताया जाता है कि धान की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये है। 550 करोड़ की खरीदारी हुई है। प्रतिवादी नंबर 2 को 31.12.2009 तक

45% कस्टम मिल्ड चावल खरीदना था, जबकि केवल 32% चावल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दिया गया है, जिससे 13% की कमी रह गई है और ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण हो गया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 का स्थान वांछनीय नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुमन जैन ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण केवल मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है, यह जनहित में नहीं है। दरअसल, प्रतिवादी नंबर 2 को अगस्त, 2009 में ही सोनीपत से कुरूक्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। वह कुछ कारणों से सोनीपत में ही रहना चाहता था और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के माध्यम से उसने अपना स्थानांतरण दोबारा सोनीपत में करा लिया है। राज्य। हरियाणा राज्य ने दिनांक 07.04.1989 के परिपत्र के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। यह निर्धारित है कि किसी कर्मचारी के स्टेशन/पोस्ट पर रहने की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष है। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कर्मचारी को उच्च अधिकारियों के पास जाने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसा दृष्टिकोण उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 का स्थानांतरण सरकारी निर्देशों का घोर उल्लंघन है, दोनों धान की डिलीवरी और सरकारी कर्मचारियों के लिए

स्थानांतरण नीति से संबंधित हैं और इसके अलावा सार्वजनिक हित के अलावा अन्य कारणों से भी। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के स्थानांतरण से संबंधित आधिकारिक टिप्पणियाँ रिकॉर्ड पर रखी हैं। उसकी प्रति अनुलग्नक पी-4 है। कार्यालय की सूचनाओं की प्रामाणिकता का पता लगाने की दृष्टि से, राज्य के वकील को मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसे राज्य की ओर से उपस्थित श्री बराड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब यह याचिका दायर की गई थी, तो अंतरिम आदेश दिनांक 18.01.2010 द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जाएगी, यदि पहले ही राहत नहीं मिली है। प्रारंभ में, प्रतिवादी नंबर 2 एक पक्ष नहीं था, लेकिन बाद में उसे प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में शामिल किया गया। राज्य और निजी प्रतिवादी ने भी अपने अलग-अलग जवाब दाखिल किए। राज्य ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने की मांग की है कि याचिकाकर्ता ने 02.02.2010 को सोनीपत से कार्यभार छोड़ दिया है और 03.02.2010 को अपने स्थानांतरण के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है। निजी प्रतिवादी ने बस इतना कहा है कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के मामले में, स्थानांतरण के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की 2009 की नीति के तहत 31.03.2010 तक काम पूरा किया जाना है और यदि स्थानांतरण हो जाता है तो भी एक कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि बिना रिलीव हुए प्रतिवादी नंबर 2 ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए सोनीपत में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह तथ्य श्री एके गौड़, उप निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ के अतिरिक्त शपथ पत्र से स्पष्ट होता है, जिसमें कहा गया है कि केएस दहिया, जिला. खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (प्रतिवादी

संख्या 2)। एनके मित्तल (याचिकाकर्ता) को 14.01.2010 को सोनीपत से कार्यमुक्त माना गया है। प्रतिवादी नंबर 2 ने 14.01.2010 को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में रखी है। साथ ही याचिकाकर्ता की 03.02.2010 को कुरूक्षेत्र में ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी। प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही स्थानांतरित पद पर शामिल हो चुका है, इसलिए रिट याचिका निरर्थक हो गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें कभी भी कार्यमुक्त नहीं किया गया था और चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 अवैध रूप से उन्हें कार्यमुक्त किए बिना उनके स्थान पर शामिल हो गया था, इसलिए उनके पास अपने खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए कुरूक्षेत्र में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने स्थानांतरण नीति के साथ-साथ खाद्यान्न की खरीद और वितरण के संबंध में हरियाणा सरकार के दिशानिर्देशों का भी अध्ययन किया है। रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने रुपये का खाद्यान्न धान खरीदा है। कुरूक्षेत्र में 550 करोड़ रु. यह धान 31.03.2010 तक केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जाना था। न तो राज्य के उत्तर में और न ही प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 को सोनीपत में पुनः स्थानांतरित करने के लिए कोई वैध आधार है। उत्पादित रिकॉर्ड में निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज हैं: मैंने स्थानांतरण नीति के साथ-साथ खाद्यान्न की खरीद और वितरण के संबंध में हरियाणा सरकार के दिशानिर्देशों का भी अध्ययन किया है। रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने रुपये का खाद्यान्न धान खरीदा है। कुरूक्षेत्र में 550 करोड़ रु. यह धान 31.03.2010 तक केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जाना था। न तो राज्य के उत्तर में और न ही प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 को सोनीपत में पुनः स्थानांतरित करने के लिए कोई वैध आधार है। उत्पादित रिकॉर्ड में निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज हैं: मैंने स्थानांतरण नीति के साथ-साथ खाद्यान्न की खरीद और वितरण के संबंध में हरियाणा सरकार के दिशानिर्देशों का भी अध्ययन किया है। रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने रुपये का खाद्यान्न धान खरीदा है। कुरूक्षेत्र में 550 करोड़ रु. यह धान 31.03.2010 तक केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जाना

था। न तो राज्य के उत्तर में और न ही प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 को सोनीपत में पुनः स्थानांतरित करने के लिए कोई वैध आधार *है। उत्पादित रिकॉर्ड में निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज हैं:*

"माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है कि श्री के.एस. दहिया, डी एफ एस सी, कुरूक्षेत्र को श्री एन.के. मित्तल के स्थान पर सोनीपत स्थानांतरित किया जाए और इसके विपरीत।

एस डी/-

09.12.09 *(एमएस चोपड़ा),*

माननीय एफएसएम *ओ एस डी/सीएम"*

(अवगत कराया गया)

"इन स्टेशनों पर रहने और काम करने, प्रदर्शन के रिकॉर्ड आदि के बारे में जांच करें;

एसडी/-

(एफएसएम),

11.12.09"

(3) फाइल वित्तीय आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति और अन्य पदाधिकारियों को भेज दी गयी है। एस एफ एस द्वारा 18.12.*2009 को एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह नोट इस प्रकार है:-*

"विषय: वी. पत्र द्वारा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों के स्थानांतरण के संबंध में,

ओएसडी/सीएम से एक स्थानांतरण नोट प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री इस योग्य हैं कि श्री केएस दहिया, डीएफएससी, कुरूक्षेत्र को स्थानांतरित किया जाए। श्री एनके मित्तल के खिलाफ सोनीपत और इसके विपरीत। इस पर खाद्य मंत्री ने इन स्टेशनों पर ठहरने और कामकाज के रिकॉर्ड आदि के बारे में जांच कर पेश करने का आदेश दिया था।

वी. पत्र पर माननीय खाद्य मंत्री के आदेश के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश, जो दिनांक 21.08 को ज्ञापांक 14/25/2006-4F.S./248.AA द्वारा जारी किया गया था।.2009, श्री केएस दहिया, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को रिक्त पद के विरुद्ध सोनीपत से कुरूक्षेत्र स्थानांतरित किया गया तथा श्री एनके मित्तल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को श्री केएस दहिया, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के विरुद्ध करनाल से सोनीपत स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्री के.एस. दहिया एवं श्री एन.के.मित्तल के स्थानांतरण को मात्र चार माह ही बीते हैं।

जहां तक उनके कामकाजी रिकॉर्ड का सवाल है, मुख्यालय की क्रय शाखा, भंडारण शाखा और सामान्य खाद्य शाखा से एक रिपोर्ट प्राप्त करना उचित होगा ताकि माननीय खाद्य मंत्री को उस रिपोर्ट के आधार पर तदनुसार अवगत कराया जा सके। आदेश के लिए फाइल प्रस्तुत की जा रही है। (ए)

एसडी/-

18.12.2009 *एसएफएस"*

(4) उपरोक्त नोट से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 का स्थानांतरण मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ था, जो प्रतिवादी संख्या 2 का स्थानांतरण सोनीपत और याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कुरूक्षेत्र करना चाहते थे। नोट में 21.08.2009 को इन दोनों अधिकारियों के उनके संबंधित स्थानों यानी कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थानांतरण का भी उल्लेख किया गया है। मुख्यालय की क्रय शाखा, भंडारण शाखा और सामान्य खाद्य शाखा से रिपोर्ट मांगी गयी है. दोनों अधिकारियों के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट इस प्रकार है:-

"(1) श्री के.एस. दहिया और श्री एन.के. मित्तल दोनों पिछले चार महीनों से क्रमशः कुरुक्षेत्र और सोनीपत में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

2) दोनों एक ही बैच (1988) हरियाणा सिविल सेवा और संबद्ध सेवाओं से हैं।

3) अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार. जनवितरण विभाग के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है.

4) कुरूक्षेत्र में, हमारे पास 83,256 मीट्रिक टन गेहूं भंडारण में है और सोनीपत में 15.12.2009 तक यह मात्रा 29,546 मीट्रिक टन है (खाद्य विभाग)

5) इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी पर खरीदे गए धान की मात्रा. सोनीपत में, मात्रा शून्य है, हालांकि केकेआर के मामले में हमने (खाद्य विभाग) एमएसपी पर 4,15,810 मीट्रिक टन धान खरीदा है। कुरूक्षेत्र में वित्तीय भागीदारी 550 करोड़ रुपये की है।

पिछले 75 वर्षों में विकसित हुए पीआर कार्य का मुख्य सिद्धांत यह देखना है कि जहां तक संभव हो अधिकारियों/कर्मचारियों का एक ही समूह उन शेयरों को नष्ट कर दे जिन्होंने इसे खरीदा है। अन्यथा डिफॉल्ट की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारे विभाग में डिफॉल्ट के ज्यादातर मामले ऐसे तबादलों के कारण होते हैं और ऐसे मामले बहुत ही पेचीदा हो गए हैं। कृपया मामला माननीय एफएसएम को उनके आदेश हेतु भेजा जाए।

एसडी /-

26.12.09 डीएफएस"

(5) यह रिपोर्ट वित्तीय मंत्री द्वारा 04.02.209 को वित्तीय आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति को भेजी गई थी, जिन्होंने इसे मंजूरी भी दे दी और अंततः वित्तीय आयुक्त के हस्ताक्षर के तहत 13.01.2010 को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया। और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। फ़ाइल पर उपरोक्त नोट से और यहां तक कि प्रतिवादी की फ़ाइल से, ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानांतरण पूरी तरह से मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है। पुनः स्थानांतरण का कोई कारण नहीं है पांच महीने बाद ही प्रतिवादी नंबर 2 को वापस सोनीपत भेज दिया गया। यह जानकर हैरानी होती है कि पेश किए गए पूरे रिकॉर्ड में प्रतिवादी नंबर 2 को सोनीपत में स्थानांतरित करने के लिए कोई आधार नहीं बताया गया है।

(6) प्रस्तुत रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व स्थानांतरण के अवसर पर कार्यालय द्वारा नोट तैयार किया जाता है और विभिन्न चैनलों से गुजरने के बाद मुख्यमंत्री तक जाता है, जो अंततः इसे मंजूरी देते हैं और स्थानांतरण आदेश जारी किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपनाई गई प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से बिल्कुल उलट है। वर्तमान मामले में, प्रारंभिक नोट मुख्यमंत्री के कार्यालय से निकला है, जो स्थानांतरण चाहते थे और वह भी याचिकाकर्ता के स्थान पर प्रतिवादी नंबर 2 का केवल एक स्थानांतरण। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इन दोनों अधिकारियों को केवल अगस्त, 2009 के महीने में स्थानांतरित किया गया था और सरकार की अपनी स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए पांच महीने बाद ही आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। यह स्थानांतरण पूर्णतः मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ है। किसी सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित करने की मुख्यमंत्री की शक्ति को उन्हें स्वीकार करना होगा, वह सरकार के मुख्य कार्यकारी हैं। सवाल किसी सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित करने के अधिकार और शक्ति का नहीं है। सवाल स्थानांतरण की वैधता का है, जो वर्तमान मामले में जांच के दायरे में है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा की अनिवार्यता है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी विशेष पद पर या किसी विशेष स्थान पर बने रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित के अलावा अन्य विचारों पर स्थानांतरण करने और उल्लंघन करते हुए एक कर्मचारी को विशेष स्थान पर समायोजित करने का अधिकार नहीं है। मानदंडों के उल्लंघन को द्वेष से प्रेरित स्थानांतरण माना जाएगा। ऐसा द्वेष उस व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकता है, जो इस तरह के स्थानांतरण से प्रभावित हो सकता है लेकिन अंततः आधिकारिक पूर्वाग्रह होता है। आधिकारिक पूर्वाग्रह यह है कि एक व्यक्ति की मदद करने का इरादा दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक की मदद करने के स्वाभाविक परिणाम के रूप में दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। सामान्य परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण के मामले में

न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। हालाँकि, दुर्भावना और पूर्वाग्रह के कारण स्थानांतरण एक ऐसी स्थिति है, जहाँ न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है। मेरी सुविचारित राय है कि यह ऐसे मामलों में से एक है जहां पूर्वाग्रह स्पष्ट है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से सोनीपत में पुनः स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। यह सर्वमान्य स्थिति है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने रुपये मूल्य के धान की खरीदारी की। 550 करोड़ रुपये और 31.03.2010 से पहले धान

को चावल में परिवर्तित करने के बाद भारतीय खाद्य निगम को इसकी डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले कि वह खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी निभा पाते, उन्हें कुरूक्षेत्र से सोनीपत स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। सच तो यह है कि पूरे रिकार्ड से कोई भी जनहित उजागर नहीं हुआ है।

(7) मुझे प्रतिवादी संख्या 2 को पुनः सोनीपत स्थानांतरित करने के अलावा याचिकाकर्ता के पांच महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरण का कोई वैध कारण नहीं मिला। यह स्थानांतरण रद्द किए जाने योग्य है, इस प्रकार दिनांक 14.01.2010 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-2) रद्द किया जाता है।

R.N.R.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा